

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इन्डिश्यल्स जज

संख्या ३  
संश्लेषण संख्या  
की इस हुक्म  
की तारीख में  
जारी हुई

14.10.25

**चन्द्र गहलौत बनाम केवलचन्द्र**

पत्रावली पेश हुई। वकूलायन फरीकेंन उपस्थित।  
प्रार्थी/प्रतिवादी 02 अभिभाषक श्री सत्यनारायण तिवारी उपस्थित।  
अप्रार्थी/वादी अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मदान उपस्थित।

आज यह पत्रावली वारसे आदेश प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी  
बाबत पेश हुई।

1. प्रार्थी/प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिनांक 04.06.2025 को प्रार्थना  
पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया गया कि उक्त  
दावा कृषि भूमि मुरब्बा नंबर 77/33 तादादी 19 बीघा 14  
बिस्वा वाके चक 07 बीकेएम, बीकानेर की भूमि में से 01  
बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 से 28.01.2022 को खरीद  
करना अंकित किया है जिसका इंतकाल आज दिन तक दर्ज  
नहीं हुआ है। वादी ने अपने दावे में यह अंकित किया है कि  
उक्त भूमि की घोषणा की जावे कि वादी इस भूमि का  
खातेदार है तथा यह भूमि उपनिवेशन मुरब्बा नंबर के खसरा  
नंबर 1345/159 तादादी 30 बीघा कच्चा से बने है और  
दोनों भूमियां एक ही है एवं लोकेशन प्रतिवादीगण से ट्रेस  
आउट करवाकर वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया  
जावे। वादी ने अपने वाद पत्र के अनुतोष के पैरा संख्या 02  
में भी उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादीगण उक्त भूमि को रहन,  
बैय, मुंतकिल न करे ना ही नौके की स्थिति में परिवर्तन,  
परिवर्धन नहीं करे इस प्रकार की चिर निषेधाज्ञा डिक्री किए  
जाने का अनुतोष चाहा है। जबकि सही स्थिति यह है कि  
वादी द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि को कई छोट-छोटे प्लॉट  
काटकर विक्रय कर दिया है। वर्तमान में वादी के पास भूमि  
शेष नहीं रही है। वादी द्वारा अपनी भूमि खरीद करने के  
दिन के बाद से विक्रय कर दी है। इस कारण वादी को  
प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक  
प्राप्त नहीं है। वादी ने कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर  
यह दावा प्रस्तुत किया है जिसे वादी को प्रस्तुत करने का  
अधिकार नहीं है। अतः दावा इस स्तर पर खारिज किये जाने  
योग्य है।





2. प्रत्युत्तर में अग्रार्थी/वादी अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें संक्षेप में अंकित तथ्य यह है कि मुरब्बा नं 77/33 तादादी 19 बीघा 14 बिस्वा वाके चक्र 7 बी.के.एम. व ख.नं. 1345/159 तादादी 30 बीघा कच्चे वाके ग्राम चक्रगर्बी एक ही भूमि से सम्बन्धित है राजस्व खसरा नम्बर 1345/159 तादादी 30 बीघा कच्चे वाके ग्राम चक्रगर्बी राज्य सरकार की भूमि रही है तथा यह रकबा पूर्व में राजस्व विभाग में था तथा यह खसरा नम्बर 1345/159 तादादी 30 बीघा भूमि वाके चक्रगर्बी कुछ समय के लिए उपनिवेशन विभाग में चली गई तथा उपनिवेशन विभाग में जाने के बाद उपनिवेशन विभाग में ख.नं. 77/33 तादादी 19 बीघा 14 बिस्वा कच्चे भूमि वाके चक्र 7 बी. के.एम. कायम कर दिया गया बाद में यह रकबा उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग में आ गया और राजस्व विभाग के ख.नं. 1345/159 तादादी 30 बीघा कच्चे व पक्के 19 बीघा 14 बिस्वा चक्रगर्बी कायम हो गये। इन दोनों खसरो की जो कि एक ही भूमि है इस भूमि में 1 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड सैल डीड द्वारा वादी को ख.नं. 77/33 के किला नं 15 की तादादी 1 बीघा अर्थात 0.2529 हेक्टेयर भूमि वादी को विक्रय कर दी लेकिन इंतकाल दर्ज नहीं हुआ तथा पहले से ही प्रतिवादी कपूरचन्द ने जायदाद दोनों मुरब्बो को जगह जगह अपना बताकर विक्रय कर रहे है जबकि यह दोनों भूमियां एक ही भूमि है तथा सरकार भूमि है इसके अलावा भूमि ट्रेस आउट भी नहीं हुई है और विवाद की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जब तक लोकेशन ट्रेस आउट नहीं होती तब तक किसी प्रकार का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है प्रतिवादी ने जो दरखास्त नवलखी की ओर से पेश की है उसने यह जमीन वादी को विक्रय ही नहीं की है भूमि प्रतिवादी सं 4 कपूरचन्द ने जरिये रजिस्टर्ड सैल डीड द्वारा विक्रय की है इसके अलावा 77/33 तादादी 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि जो एस.डी.ओ. के आदेश क्रमांक 983 दिनांक 05.04.2003 की पालना में इंतकाल दर्ज होना बताया है जबकि यह भूमि राजकीय भूमि है और एस.डी.एम. की ओर से 77/33 खातेदारी आदेश दिनांक 05.04.2003 की नकल भी मांगी गई तो कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिसकी प्रति भी माननीय न्यायालय



Handwritten signature or initials in blue ink.

सहायक क...

में पेश की हुई है ऐसी स्थिति में फर्जीवादा करके जमीनें विक्रय की गई है। इसके अलावा सभी प्रतिवादीगण गलत सरकारी भूमि के खसरे 1345/159 राजस्व खसरे चक्रगर्बी के श्रे और इसी भूमि के उपनिवेशन खसरे 77/33 वाके चक्र 7 बी.के.एम. बने। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दोनों भूमियां एक ही है इन दो भूमियों के अलग अलग रकने बताकर अपने नाम जायदादे फर्जी तरीके से प्राप्त कर ली जबकि यह भूमि राज्य सरकार की है जबकि यह भूमि ना तो कभी रतनी देवी को आवंटित हुआ ना ही भूमि जेठाराम कभी आवंटन हुई। दोनों ही सरकारी भूमि है और इन दोनों व्यक्तियों के नाम से फर्जी तरीके से प्रतिवादीगण ने अलग अलग खातेदारियां फर्जी लेकर रजिस्ट्रीयां करावा ली जिसकी एफ.आई.आर. भी पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद कालोनी में हो रखी है और तफ्तीश पेण्डिंग है। इसके अलावा पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि ना तो रतनी देवी के नाम से भूमि अलोट हुई ना ही रिकार्ड में उसका नाम दर्ज हुआ ना ही जेठाराम के नाम से कभी भूमि आवंटन हुई। दोनों ने सरकारी भूमि की खातेदारियां फर्जी तरीके से प्रतिवादीगणों ने प्राप्त करके रजिस्ट्रीयां करा दी। प्रतिवादी सं 2 ने जानबूझकर धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया है जबकि जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। दावा कहीं पर भी इन्फेक्चर नहीं होता क्योंकि इस मामले में गंभीर मुद्दे तय होने हैं। राज्य सरकार को करोड़ों रूपयों का नुकसान प्रतिवादीगण पहुंचा रहे हैं और सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र जानबूझकर कर मामले को उलझा रहे हैं इसलिए यह प्रार्थना पत्र भारी खर्च व हर्जे से खारिज फरमाया जावे। इसके अलावा यहां यह भी लिखना उचित होगा कि इस भूमि को धारा 212 (2) राज. कारतकारी अधिनियम के तहत रिसीवर किया जावे तथा इस भूमि पर पटवारी हल्का व तहसीलदार को आदेशित किया जावे कि वह इस भूमि को अपने कब्जे में लेवे और जब तक निपटारा ना हो तब तक यहां बोर्ड लगाया जावे कि यह भूमि सरकारी है और राज्य सरकार की भूमि है ताकि आगे भूमि का हस्तान्तरण ना हो प्रतिवादीगण आगे से आगे भू रूपान्तरण की कार्यवाही बी.डी.ए. करवाने पर तुले हुए है यदि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रतिवादीगण करते हैं तो निश्चित रूप से कई कानूनी पेचिदगियां उत्पन्न हो जायेगी इसलिए

Ca

न्यायहित में सरकार के हितों को देखते हुए तुरन्त प्रभाव से इसको कुन्ता  
की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

● लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का आवेदन खारिज फरमाया जावे तथा खसरा नम्बर 77/33 तादादी 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके चक 7 बीकेएम व खसरा नम्बर 1345/159 तादादी 30 बीघा कच्चे भूमि वाके चकगर्बी की भूमि दोनों एक ही भूमि है इस भूमि का रिसीवर कायम किया जावे ताकि भूमि का आगे हस्तान्तरण ना हो और ना ही भूमि का परिवर्तन परिवर्धन हो क्योंकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी भूमि राज्य सरकार की रही है यदि माननीय न्यायालय 151 के तहत शक्तियो का प्रयोग नही करती है तो प्रतिवादीगण राज्य सरकार को करोडो रूपयो का राजस्व का नुकसान पहुंचा सकते है और जमीन तो एक ही है लेकिन दो भूमियां बताकर डबल बीघे बताकर फर्जी खातेदारियों से विक्रय किये जा रहे है और गरीब लोगो को व सामान्य लोगो को जमीन विक्रय कर रहे है इसलिए इन तथ्यो को ध्यान में रखते हुए रिसीवर नियुक्त किया जाना अति आवश्यक है और तहसीलदार को आदेशित किया जावे कि तुरन्त प्रभाव से मौके की भूमि को कुन्ता करके राज्य सरकार की भूमि है का बोर्ड लगाया जावे जब तक मामले का निस्तारण ना हो तब तक वो भूमि को अपने कब्जे मे रखे ना ही निर्माण होने दे एवं अन्य विभागो को पत्र लिखे की कोई रूपान्तरण की कार्यवाही नही करे इस हेतु यह प्रार्थना पत्र काउण्टर पेश किया जा रहा है।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।  
प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि वादपत्र धारा 88, 188 आरटीए के अंतर्गत प्रस्तुत किया है वादी का पजेशन ही नहीं है तो 188 आरटीए में कैसे दावा पेश किया जा सकता है। वादी द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि को कई छोट-छोटे प्लॉट काटकर विक्रय कर दिया है। वर्तमान में वादी के पास भूमि शेष नहीं रही है। वादी द्वारा अपनी भूमि खरीद करने के दिन के बाद से विक्रय कर दी है। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। वादपत्र खारिज फरमाया जावे।



- इसके अतिरिक्त धारा 151 सीपीसी के तहत प्रावधानों में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टांत RLW 2013 (1) RJ 81 इस आधार पर पेश किया गया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ मुकदमों को न्यायालय धारा 151 सीपीसी प्रावधानों के तहत न्यायालय अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे वाद खारिज कर सकता है।
4. इसके प्रत्युत्तर अभिभाषक प्रार्थी/वादी द्वारा कथन किया गया कि इनके द्वारा 151 के प्रार्थना पत्र का सहारा लिया जाकर न्यायालय के समय का दुरुपयोग किया जा रहा है इनके द्वारा वादपत्र व टीआई प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा घोषणात्मक अनुतोष बाबत दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी ने जो दरखास्त नवलखी की ओर से पेश की है उसने यह जमीन वादी को विक्रय ही नहीं की है भूमि प्रतिवादी सं 4 कपूरचन्द ने जरिये रजिस्टर्ड सैल डीड द्वारा विक्रय की है तथा खसरा नम्बर 77/33 तादादी 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके चक 7 बीकेएम व खसरा नम्बर 1345/159 तादादी 30 बीघा कच्चे भूमि वाके चकगर्बी की भूमि दोनो एक ही भूमि है इस भूमि का रिसीवर कायम किया जावे ताकि भूमि का आगे हस्तान्तरण ना हो और ना ही भूमि का परिवर्तन परिवर्धन हो क्योंकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी भूमि राज्य सरकार की रही है यदि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रतिवादीगण करते है तो निश्चित रूप से कई कानूनी पेचिदगियां उत्पन्न हो जायेगी इसलिए न्यायहित में सरकार के हितो को देखते हुए तुरन्त प्रभाव से इसको कुर्क की कार्यवाही अमल में लाई जावे।
5. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।

6. प्रकरण वादी द्वारा धारा 88, 188 आरटीए के तहत घोषणात्मक व चिर स्थायी निपेधाज्ञा डिक्री बाबत पेश कर यह अनुतोष चाहा कि वादी की खरीद शुदा भूमि उपनिवेशन मुरब्बा नंबर 77/33 तादादी 19 बीघा 14 बिरवा भूमि ताके चक 7 बीकेएम, बीकानेर व इसी उपनिवेशन मुरब्बा नंबर के खसरा नंबर 1345/159 तादादी 30 बीघा कच्चा ग्राम चकगर्बी राजस्व रिकॉर्ड के बने है दोनो भूमि एक बताते हुए वादी की लोकेशन प्रतिवादी गण से ट्रेस आउट करवा कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इंतकाल दर्ज करने का आदेश बाबत चाहा गया है।


7. पत्रावली के अवलोकन व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से यह कि वादगत भूमि वादी चन्द्रगहलोट द्वारा जरिए बैयनामा प्रतिवादी संख्या 04 कपूरचंद राठी से दिनांक 28.01.2022 को खरीद की गयी उक्त बैयनामा होने उपरांत वादी का रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ तथा प्रार्थी/प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रथम दृष्ट्या यह साबित होता है कि वादी द्वारा खरीद किए जाने उपरांत वादगत भूमि को भू-खंडों के रूप में विक्रय कर दिया गया।

8. हमारी राय में विधि का सुस्थापित मत है कि कृषि अभिधृतियों के संबंध में अधिकारिता वाद हेतुक पर आधारित होगी व न्यायालय को यह देखना होगा कि वास्तविक/तात्विक/मुख्य अनुतोष वाद हेतुक से संबंधित है या नहीं। हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा वादपत्र में यह वादकारण दर्शाया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी को खरीदशुदा भूमि की लोकेशन ट्रेस आउट नहीं करवायी जा रही जबकि वादी द्वारा वादगत भूमि को खरीद किए जाने उपरांत भू-खण्डों के रूप में विक्रय किया जा जाकर क्रेतागण को कब्जा सुपूर्द किए जाने के कथन बैयनामों में किए गए है ऐसे में वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि की लोकेशन को ट्रेस आउट कराए जाने के कथन मनगंढत प्रतीत होते है। वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब व बहस में अन्य कथन राज्यपक्ष से

संबंधित है जिसके संबंध में इस न्यायालय की अधिकारिता में वादी को लोकस स्टैण्डाई हासिल नहीं है।

9. जहां तक राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है जो जैर अनुसंधान है। इस संबंध में कोई क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

10. हमारे मत में वादी द्वारा प्रस्तुत वादकारण मनगढंत अनावश्यक रूप से सृजित होना प्रतीत होता है। वादी द्वारा वाद कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए तथ्यों को छुपाते हुए वादपत्र पेश किया है जो कि वादी का क्लीन हैण्डस से नहीं आना साबित होता है ऐसे बोगस प्रकरणों को शुरू से खारिज किया जाना विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र बोगस व मेंटनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
बीकानेर शहर